न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

(16)

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 37 / 2023
श्री नाहर सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, ग्राम सोकडाला / छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान), पिन कोड 33302, मो0 न0 9420139352

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 23.02.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.02.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 37 / 2023 पर दिनांक 07.02.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2023 / 802–03 दिनांक 07.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 23 / 228 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री नाहर सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी कहारिया की ढाणी, छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं का आवेदन 28.12.2022 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 2017 / 09 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा पाठक अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनूं को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 3 दिवस मे कार्यालय मे उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है ताकि प्रार्थी को निर्धारित समयावधि मे सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 23 / 228 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री नाहर सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी कहारिया की ढाणी, छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं का आवेदन 28.12.2022 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 2017 / 09 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा पाठक अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनूं को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 3 दिवस मे कार्यालय मे उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है ताकि प्रार्थी को निर्धारित समयावधि मे सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को अपने कार्यालय से संबंधित सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:19 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू